

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र संख्या-वा0क0अधि0/दस-3(ग)/वैय0सहायक वे0नि0/2183/2023, दिनांक: 21/06/2023

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

इस कार्यालय द्वारा निर्गत आदेशांक-वा0क0अधि0/दस-3(ग)/वे0नि0/3434/2020, दिनांक: 09/12/2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु परिपत्र सं0-1790, दिनांक 24.05.2023 के साथ में पत्र सं0-2750, दिनांक 28.10.2020 की छाया प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित करते हुये कार्यरत/सेवानिवृत्त आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक को समय-समय पर शासनादेशों के अनुरूप अनुमन्य पदनाम व वेतनमान के विवरण अनुसार अपने-अपने कार्यालयों से संबंधित कार्यरत/सेवानिवृत्त आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक का वेतन निर्धारण आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में परिपत्र सं0 1938, दिनांक 05.06.2023 द्वारा अनुस्मारक भी भेजा गया है किन्तु अभी तक वेतन निर्धारण किये जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।

अतएव निर्देशित किया जाता है कि आदेश सं0 3434, दिनांक 09.12.2020 का अनुपालन में अपने अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत/सेवानिवृत्त आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायकों का वेतन निर्धारण प्रत्येक दशा में 03 दिवस में करते हुये सेवा पुस्तिका सहित मुख्यालय प्रेषित करें। यदि आपके अधीनस्थ कार्यालय के संबंधित कार्यरत/सेवानिवृत्त आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक का वेतन निर्धारण आपके स्तर से नहीं हो पा रहा है उस स्थिति में भी वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका मुख्यालय प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त यदि किसी कार्मिक का वेतन निर्धारण आपकी पीठ से अपेक्षित नहीं है, इसकी भी सूचना मुख्यालय 03 दिवस में प्रेषित करें

ह0/21.06.2023

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृष्ठोंकन संख्या व दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।
- 2-निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (डी0डी0ओ0)
- 3-प्रशासनिक अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4-वरिष्ठ सहायक आलेखक-प्रालेखक-1, मुख्यालय।
- 5-वरिष्ठ सहायक (पेंशन)/वेब अधिकारी, मुख्यालय।

आज्ञा से,



(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ